

# ORDER - SHEET

JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS

Case No. 300/18 of 20

Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties of pleaders where Necessary

Date of order of Proceeding

आज आरक्षी केन्द्र को आरक्षक / सहायक उपनिरीक्षक / प्रधान क० 117 द्वारा थाना की ओर अपराध क० 226/16 अंतर्गत धारा 21 स. 20 स. 2 अपराध के संबंध में अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए० डी० पी० ओ० श्री 226/16 उप०।

अभियुक्त / अभियुक्तगण 226/16 डी० डी० पी०

निवासी / निवासीगण 226/16 डी० डी० पी०

थाना 226/16 जिला को और से अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त / अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री 226/16 द्वारा मेमोरेण्डम / वकालतनामा प्रस्तुत किया।

अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र / परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार अभियोग के अधीन कार्यवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 190-(1) द० प्र० स० के अधीन संज्ञान लिये जाने का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का गौण अपराधिक पंजी 226/16 दर्ज

किया जावे।

अभि... 20 प्र० स० की...

गते



चूँकि मामला सक्षित विचारणीय है। अतः सक्षिप्त विचारण प्रारम्भ किया गया। अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध

धारा 84 भारतीय दण्ड संहिता 1960 से 1980 के अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियाँ विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा संभव उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से टंकित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 07 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति 7 रुपये राजसात किये जायें। संपत्ति 4500 रुपये मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

पुनश्च:

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि 500 रुपये अदा की जिसकी पावती बुक क्र 5424 रसीद क्र 43 दी गई। अभियुक्त/अभियुक्तगण को सजा भुगताई गई।

A.K. Gupta  
Judicial Magistrate first class  
Gonda Dist. Bhind (M.P.)

प्रकरण संख्या 100/2019 अर्थदण्ड प्रकरण

एच. के. ए. गुप्ता  
मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गणेश मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी